कार्यालय अधिशासी अभियन्ता वाह्य सहायतित परियोजना खण्ड, लो०नि०वि०, बहराईच

पत्रांक 148/3c/2023

सेवा में, प्रभागीय वनाधिकारी.

बहराईच वन प्रभाग

बहराईच ।

विषय:- बहराईच-गोण्डा-फैजाबाद मार्ग (एस0एच0-30) के कि0मी0 4.150 से कि0मी0 64.282 तक मार्ग सुदृढ़ीकरण में बहराईच वन प्रभाग में प्रभावित 15.33 हे0 संरक्षित वनभूमि एवं बाधक 2250 वृक्षों के पातन, गोण्डा वन प्रभाग में प्रभावित 32.0352 हे0 संरक्षित वनभूमि एवं बाधक 24897 वृक्षों के पातन तथा श्रावस्ती वन प्रभाग में प्रभावित 35.356 हे0 संरक्षित वनभूमि एवं बाधक 8546 वृक्षों के पातन अर्थात कुल 82.7212 हे0 संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 35693 वृक्षों के पातन की अनुमति के संबंध में।

संदर्भः-कार्यालय मुख्य वनसंरक्षक/नोडल अधिकारी, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ०प्र० लखनऊ का पत्रांक 3703/11-सी-FP/UP/Road/147236/2021 dt. 24.05.2023

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र के क्रम में बहराईच–गोण्डा–फैजाबाद (एस0एच0–30) के कि0मी0 4.150 से कि0मी0 64.282 तक मार्ग के सुदृढ़ीकरण में बहराईच वन प्रभाग में प्रभावित 15.33 हे0 संरक्षित वन भूमि एवं बाधक 2250 वृक्षों के पातन की अनुमति के क्रम में नोडल अधिकारी, लखनऊ द्वारा दिये गये EDS के अनुपालन में संशोधित प्रस्ताव 5 प्रतियों में संलग्न कर प्रस्तुत है।

क्र0सं0	बिन्दु	आख्या
1	लागत लाभ विश्लेषण सम्बन्धित प्रमाण पत्र संलग्न है, किन्तु	उपरोक्तानुसार सही एन0पी0वी0 दर के
	प्रमाण पत्र में एन०पी०वी० की दर त्रुटिपूर्ण है। अतः सही दर के	अनुसार संशोधित प्रस्ताव पांच प्रतियो
	अनुसार लागत लाभ विश्लेषण संलग्न कर आनलाईन भाग-1 में अपलोड करें।	में संलग्न है तथा ऑनलाइन भाग-1 में
2	पेनड्राइव में अपलोड के०एम०एल० एवं पी०डी०एफ० फाईल ओपन	अपलोड कर दिया गया है।
	नहीं हो रही है। अतः उपरोक्त इंगित कमियों का निराकरण कर संशोधित प्रस्ताव की पी0डी0एफ0 फाइल एवं सम्बन्धित सी0ए0	पी0डी0एफ0 फाइल एवं सम्बन्धित सी0ए0 एवं प्रस्तावित वनभूमि की
	अपलोड कर प्रस्ताव में संलग्न करें।	के0एम0एल0 फाइल पेनड्राइव में अपलोड कर संलग्न है।

संलग्नकः-उपरोक्तानुसार।

26

Se

🖌 अधिशासी अभियन्ता वाह्य सहायतित परियोजना खण्ड, लो०नि०वि०, बहराईच।

दिनांक 25/05/2023

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:--

1.मुख्य अभियन्ता, वाह्य सहायतित परियोजना, लो०नि०वि०, लखनऊ। 2.अधीक्षण अभियन्ता, विश्व बैंक योजना वृत्त, लो०नि०वि०, लखनऊ। 3.टीम लीडर एजिस इण्डिया कन्सल्टिंग इंजीनियर्स प्र0लि0, लखनऊ। 4.श्री बृजेश कुमार सहायक अभियन्ता वाह्य सहायतित परियोजना खण्ड, लो०नि0्वि०, बह्रीराईच् ।

ROW 🗸 अधिशासी अभिधन्ता. वीह्य सहायतित परियोजना खण्ड. लो०नि०वि०, बहराईच।

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता वाह्य सहायतित परियोजना खण्ड, लो०नि०वि०, बहराईच

पत्रांक 149/30/2023

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी, गोण्डा वन प्रभाग गोण्डा।

विषय:- बहराईच-गोण्डा-फैजाबाद मार्ग (एस0एच0-30) के कि0मी0 4.150 से कि0मी0 64.282 तक मार्ग सुदृढ़ीकरण में बहराईच वन प्रभाग में प्रभावित 15.33 हे0 संरक्षित वनभूमि एवं बाधक 2250 वृक्षों के पातन, गोण्डा वन प्रभाग में प्रभावित 32.0352 हे0 संरक्षित वनभूमि एवं बाधक 24897 वृक्षों के पातन तथा श्रावस्ती वन प्रभाग में प्रभावित 35.356 हे0 संरक्षित वनभूमि एवं बाधक 8546 वृक्षों के पातन अर्थात कुल 82.7212 हे0 संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 35693 वृक्षों के पातन की अनुमति के संबंध में।

संदर्भ:-कार्यालय मुख्य वनसंरक्षक/नोडल अधिकारी, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ०प्र० लखनऊ का पत्रांक 3703/11-सी-FP/UP/Road/147236/2021 dt. 24.05.2023

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र के क्रम में बहराईच—गोण्डा—फैजाबाद (एस0एच0—30) के कि0मी0 4.150 से कि0मी0 64.282 तक मार्ग के सुदृढ़ीकरण में गोण्डा वन प्रभाग में प्रभावित 32.0352 हे0 संरक्षित वनभूमि एवं बाधक 24897 वृक्षों के पातन की अनुमति के क्रम में नोडल अधिकारी, लखनऊ द्वारा दिये गये EDS के अनुपालन में संशोधित प्रस्ताव 5 प्रतियों में संलग्न कर प्रस्तुत है।

क्र0सं0	बिन्दु	आख्या
1	लागत लाभ विश्लेषण सम्बन्धित प्रमाण पत्र सलग्न है, किन्तु प्रमाण पत्र में एन0पी0वी0 की दर त्रुटिपूर्ण है। अतः सही दर के अनुसार लागत लाभ विश्लेषण	
	संलग्न कर आनलाईन भाग-1 में अपलोड करें।	
2	अतः उपरोक्त इंगित कमियों का निराकरण कर संशोधित प्रस्ताव की पी0डी0एफ0 फाइल पेनड्राइव	
	में अपलोड कर प्रस्ताव में संलग्न करें।	0

संलग्नकः-उपरोक्तानुसार।

जि अधिशासी अमियन्ता, वाह्य सहायतित परियोजना खण्ड, लो०नि०वि०, बहराईच।

दिनांक 28/-5 2023

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:--1.मुख्य अभियन्ता, वाह्य सहायतित परियोजना, लो०नि०वि०, लखनऊ। 2.अधीक्षण अभियन्ता, विश्व बैंक योजना वृत्त, लो०नि०वि०, लखनऊ। 3.टीम लीडर एजिस इण्डिया कन्सल्टिंग इंजीनियर्स प्र०लि०, लखनऊ। 4.श्री बृजेश कुमार सहायक अभियन्ता वाह्य सहायतित परियोजना खण्ड, लो०नि०वि०, बहराईच।

ofe

ि अधिशासी अमियन्ता, वाह्य सहायतित परियोजना खण्ड, लो०नि०वि०, बहराईच।

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता वाह्य सहायतित परियोजना खण्ड, लो०नि०वि०, बहराईच

पत्रांक 150/30/2023

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी, श्रावस्ती वन प्रभाग

विषय:-बहराईच-गोण्डा-फैजाबाद मार्ग (एस०एच०-30) के कि०मी० 4.150 से कि०मी० 64.282 तक मार्ग सुदृढ़ीकरण भे बहराईच वन प्रभाग में प्रभावित 15.33 हे0 संरक्षित वनभूमि एवं बाधक 2250 वृक्षों के पातन, गोण्डा वन प्रभाग में प्रभावित 32.0352 हे0 संरक्षित वनभूमि एवं बाधक 24897 वृक्षों के पातन तथा श्रावस्ती वन प्रमाग भगाप न अनामित 32.0352 हुए रारावारा प्रायूग २५ बायम 24057 पूर्वा ये पारान राजा यात्र के संरक्षित में प्रभावित 35.356 हुए संरक्षित वनभूमि एवं बाधक 8546 वृक्षों के पातन अर्थात कुल 82.7212 हुए संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 35693 वृक्षों के पातन की अनुमति के संबंध में।

संदर्भः--कार्यालय मुख्य वनसंरक्षक∕नोडल अधिकारी, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विमाग, उ०प्र०

लखनऊ का पत्रांक 3703/11-सी-FP/UP/Road/147236/2021 dt. 24.05.2023

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र के क्रम में बहराईच-गोण्डा-फैजाबाद (एस०एच०-30) के कि०मी० 4.150 से कि0मी0 64.282 तक मार्ग के सुदृढ़ीकरण में श्रावस्ती वन प्रभाग में प्रभावित 35.356 है0 संरक्षित वनभूमि एवं महोदय, बाधक 8546 वृक्षों के पातन की अनुमति के क्रम में नोडल अधिकारी, लखनऊ द्वारा दिये गये EDS के अनुपालन न कर प्रस्तत है।

ं संशोगि	धेत प्रस्ताव 5 प्रतियों में सलग्न कर प्रस्तुत हा	आख्या
क्र0सं0	बिन्दु	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा हस्ताक्षर किया जाना है।
1	प्रस्ताव में सलग्न किया पंचा प्रस्ताव वनभूमि में प्रस्तावित करने का औचित्य (जस्टिफिकेशन) प्रमाण पत्र में पुनः प्रभागीय	उपरोक्तानुसार सही एन०पी०वी० दर के अनुसार
2	वनाधिकारा के हररावार हिल्ला प्रमाण पत्र संलग्न लागत लाभ विश्लेषण सम्बन्धित प्रमाण पत्र संलग्न है, किन्तु प्रमाण पत्र में एन0पी0वी0 की दर त्रुटिपूर्ण है। अतः सही दर के अनुसार लागत लाभ विश्लेषण संलग्न कर आनलाईन भाग–1 में अपलोड करें।	संशोधित प्रस्ताव पांच प्रतियों में सलग्न हे तथा ऑनलाइन भाग—1 में अपलोड कर दिया गया है।
3	क्षतिपूरक वृक्षारोपण पर होने वाले व्यय वहन स सम्बन्धित वनचबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है किन्तु प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा पुनः प्रतिहस्ताक्षरित नहीं	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा हस्ताक्षर किया जाना है।
4	है। प्रस्ताव में संलग्न किया गया मार्ग चोड़ीकरण का स्टैर्ण्ड कास सेक्शन पर प्रभागीय वनाधिकरी के पुनः हस्ताक्षर नहीं हैं	
5	प्रस्ताव में गजट नोटिफिकेशन की छायाप्रति सलग्न है किन्तु गजट नोटिफिकेशन प्रभागीय वनाधिकारी टाज पन सत्यापित नहीं है।	81
6	प्रस्ताव में 10 कि0मी0 परिधि में कोई सेन्चुरी / वन्य जीव विहार न होने के सम्बन्धी प्रमाण पत्र पर प्रभागीय वनाधिकारी के हस्ताक्षर नहीं है।	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा हस्ताक्षर किया जाना है !

P.T.O.

दिनांक २5/-5/2023

7	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा कार्य प्रारम्भ न किये जाने	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा हस्ताक्षर किया जाना है।
	प्रयाक्ता एजसा द्वारा प्रमुख मार्ग सम्बन्धी प्रमाण पत्र संलग्न है किन्तु उस पर पुनः प्रभागीय वनाधिकारी के हस्ताक्षर नहीं है। रोड साइड पट्टी वृक्षारोपण कराये जाने की	
8	तरानबदता प्रमाण पत्र सलग्न ह पिग्पु अगागम	वन प्रभाग द्वारा उपरोक्तानुसार संशोधन किया जाना है।
9	भाग-2 के क्रमांक-9 में विवरण पुनः निमा-गणन	का मार्ग नाग संशोधित प्रस्ताव की पी0डी0एफ0
10	आकेत है। अतः उपरोक्त इंगित कमियों का निराकरण कर संशोधित प्रस्ताव की पी0डी0एफ0 फाइल पेनड्राइव में अपलोड कर प्रस्ताव में संलग्न करें।	

संलग्नकः-उपरोक्तानुसार।

अधिशासी अभियन्ता, वाह्य सहायतित परियोजना खण्ड, लो0नि0वि0, बहराईच।

पाणिमणपण, बहराइच । प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः--1.मुख्य अभियन्ता, वाह्य सहायतित परियोजना, लो०नि०वि०, लखनऊ । 2.अधीक्षण अभियन्ता, विश्व बैंक योजना वृत्त, लो०नि०वि०, लखनऊ । 3.टीम लीडर एजिस इण्डिया कन्सल्टिंग इंजीनियर्स प्र0लि०, लखनऊ । 4.श्री बृजेश कुमार सहायक अभियन्ता वाह्य सहायतित परियोजना खण्ड, लो०नि०वि०, बहराईच ।

ole

अधिशासी अभियन्ता, वाह्य सहायतित परियोजना खण्ड, लो०नि०वि०, बहराईच।

Name of Improvement of Bahraich - Gonda section of State Highway No. 30 from Km 4+150 to Km 64+232 of Project: SH-30 in Bahraich and Gonda district in the State of Uttar Pradesh

COST BENEFIT ANALYSIS

(As per MoEF&CC guidelines for conducting Cost Benefit Analysis vide no. 7-69/2011-FC (Pt.) dated 1st Aug, 2017 and its Handbook 28th March, 2019)

Nature of Proposal: Diversion of 82.7212 Ha of Protected Forest Land within existing RoW under FCA, 1980 for improvement of Bahraich – Gonda section SH-30 from existing Km. 4+150 to Km 64+232, in the state of Uttar Pradesh

Purpose: The Cost of Benefit Analysis is being undertaken for proposed Diversion of Forest land being affected due to the development of project.

Table: A- Details of Types of project involving forest land for which cost-benefit analysis will be required.

S. No	Nature of proposal	Applicable / Not Applicable	Remarks
1.	All categories of proposals involving forest land upto 20 Hectares in plains and upto 5 Hectares in hills	Not Applicable	-
2.	Proposals for defense installation purposes and oil prospecting (Prospecting only)	Not Applicable	No such area is involved in the project.
3.	Habitation, establishment of industrial units tourist lodges/ complex and other building construction.	Not Applicable	No such activities are involved in the project.
4.	All other proposals involving forest land more than 20 ha in plains and more than 5 ha in hills including roads, transmission lines, minor, medium and major irrigation projects, hydel projects, mining activities, railway lines, location specific installation like micro-wave stations, auto repeater controls, towers etc.	Applicable	The proposed project involves 82.7212 Ha. of forest land. Hence, the CBA is applicable. Hill = Nil Plain = 82.7212 Ha.

Table: B- Estimation of cost of Forest Diversion

S. No.	Parameters	Remarks	
1	Ecosystem service loss due to proposed diversion	The proposed forest area to be diverted is mostly characterized by tropical dry deciduous forest. Considering Open forest of Eco-Class III, an average value of NPV of INR 957780/- (Say 9.58 Lakh) per ha. can be considered (as per MoEF&CC (FC Division) File No. 5	
		3/2011-FC(Vol-I) dt. 6th January, 2022). Therefore, ecosystem services losses due to proposed diversion of 82.7212 Ha. of forest land = Rs. 792.47 Lakhs , considered as total NPV.	

Superintending Engineer World Bank Yojana Cirele P.W.D., Lucknow.

Name of Improvement of Bahraich - Gonda section of State Highway No. 30 from Km 4+150 to Km 64+232 of SH-30 in Bahraich and Gonda district in the State of Uttar Pradesh Project:

S.	Descuetors	Remarks
No.	Parameters	There is no loss in animal husbandry, productivity including
2 Loss of a	Loss of animals husbandry productivity including loss of fodder	loss of fodder due to the arterest
	production	10 % of NPV is maximum i.e. Rs. 79.25 Lakhs
3	Cost of human resettlement	Nil. The existing Row is declared as Protected Forest and there is no displacement of people involved in the forest area proposed for diversion
4	Loss of public facilities and administrative infrastructure (Roads, Buildings, Schools, Dispensaries, Electric lines, Railways etc.) on which would require forest land if these facilities were diverted due to the project.	Nil. There are no loss in public facilities and administrative infrastructures (road, buildings, schools, dispensaries, electric lines, railways etc.) on proposed diverted forest land.
5	Possession value of forest land	30 % of NPV cost i.e. Rs. 237.74 lakhs
5	diverted	Nil. There are no outstees involved in the forest area.
6	Cost of Suffering to oustees	NII. There are no outsteep internation
		50% of total NPV i.e. Rs. 396.23 Lakh.
7	Habitat Fragmentation Cost	efforestation will be taken up in un
8	8 Compensatory afforestation and soil & moisture conservation cost	The compensatory and estation will be taken a state of degraded forest land i.e. 82.7212 x 2 165.4424 Ha of in lieu of proposed forest to be diverted.
		As per guidelines Standard Compensatory Afforestation Restoration Factor (SCARF) assuming 4% discounted ra for Dense forest for Tropical Dry Deciduous Forests 5.18% of NPV and the proposed NPV rates is Rs. 9.1 Lakhs per ha. So the adjusted NPV rates will be Rs. 9.1 Lakhs per ha. (9.58 -[0.0518 x 9.50]). Therefore, the compensatory afforestation cost will be F 1502.84 Lakhs

Therefore, Cost of Forest Diversion:

Rs. 792.47 (Ecological loss) + Rs. 79.25 Lakhs (Animal husbandry) + Rs. 237.74 Lakh (Possession value) + Rs. 396.23 Lakhs (Habitation fragmentation) + Rs. 1502.84 (Compensatory Afforestation)

= Rs. 3008.53 lakhs

Superintending Engineer World Bank Yojana Cirele P.W.D., Lucknow.

Table: C - Existing guidelines for estimating benefits of forest-diversion in CBA

Parameters	Details
Increase in productivity attributable to the specific	The project will enable smooth accessibility in the region by which people of the region will be directly benefitted.
project.	This will also accelerate industrialization and commercialization in the region and the same will directly generate maximum employment opportunities in these areas, which boost up the economy of the region and the state.
	Due to the proposed project there will be overall development of the project area in terms of fast connectivity, transportation of agriculture produces, easy access to education, health, etc.
Benefits to economy	Economic benefit in terms of increase in trade, saving in vehicular operation and maintenance cost, faster and bette connectivity, safer journey to commuter and saving of trave time.
	Improved road connectivity helps in better implementation and management of government schemes. Proposed improved connectivity will accelerate the growth in these areas. It will provide last and economical transport of goods. After completion, the local people and industries situated in the area will be greatly benefited. The proposed project road will provide safe, fast, economic and environmental friendly transportation to the state which in term will accelerate the rate of growth in this area.
	In addition to that there are several other benefits that may accrue due to proposed development are saving in fuel, reduction in time to commute, vehicle maintenance, reduction in carbon emission etc. "However, they have not been quantified as it will be a function of various govt. policy variables." Exact quantification of the value is not possible as it is time and policy dependent.
No. of population benefited.	The proposed project will traverse two districts i.e. Bahraich and Gonda. The population of these districts are 34,87,731 persons and 34,33,919 persons respectively as per the Census of India, 2011. These people will get benefited due to the proposed project. In addition to the above, the neighbouring districts commutators will also get benefited.
Economic Benefit due to direct and indirect Employment due to the project	During the construction period of three years 180000 man days will be generated. These man days will be generated for skilled / un-skilled / semi-skilled worker on the basis of temporary employment in terms of salary and wages @ Rs. 650/day (average). So the total salary generated due temporary employment: Rs. 1170.00 Lakhs Basic living amenities including alternative fuel (LPG solar cooker etc.) will be supplied to labours/workers in construction
	Increase in productivity attributable to the specific project. Benefits to economy No. of population benefited. No. of population benefited. Economic Benefit due to direct and indirect Employment due to the

Superintending Enginee World Bank Yojana Cirele P.W.D., Lucknow.

2

Q Economic Benefit due to Compensatory Afforestation (CA)	 time will be 200 nos. (Approx. 50% labour assumes to be local). So Per head cost of fuel- Rs. 2.00/day for rest 100 labours. The Total savings on fuel for the construction period will be = Rs. 1.80 Lakhs SO the total Economic Benefit for the Construction period will be = 1170+1.80= 1171.80 In Lieu of total forest land to be diverted, Compensatory Afforestation required to be done as per the Forest (Conservation) Act 1980 and its prevailing guidelines. CA will be done in 82.7212 Ha. of Non-Forest Land. The ecological value of forest for a 50 years period of density of 1.0 is 126.74 Lakhs per ha. as per Forest Conservation Act 1980. By considering the maximum density, the ecological gain by this project due to CA would be Rs. 10,484.085 Lakhs
---	---

Therefore, the Environmental benefit will be: Rs1170.0 Lacs + Rs. 1.80Lacs (Employment generation) + Rs. 10484.085 Lacs (Economy benefits due to compensatory afforestation) = Rs. 11655.885 Lacs. Cost Benefit Ratio = Total Environmental Benefit / Total Cost = 11655.885 /3008.53 = 3.87, which is greater than 1. Hence, Project is found viable.

Date: Place:

User Ageneing Engineer URIPWDK Jojana Supervid Bank Jojana P.W.D.

1